# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 02 / 2024 FSSA**

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री हिमांशु खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल
एफबीओ मैसर्सः—राजेश प्रोविजन स्टोर, बडियाल रोड, तंवर परिसर के पास, बांदीकुई जिला दौसा।
— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 06.03.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 09.10.2023 को दोपहर 12:45 बजे मैसर्स राजेश प्रोविजन स्टोर, बडियाल रोड, तंवर परिसर के पास बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री हिमांशु खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर प्लास्टिक के कट्टे में हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose** ) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose** ) खरीदी। जिसे विक्रेता ने साफ सुखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दी। जिसकी कीमत 360 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। खरीदशुदा 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose** ) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **A.G.**—3917 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर फार्म संख्या 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफबीओ विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म संख्या 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता)एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्लय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द डिब्बा व फार्म नं 6 व सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.10.2023 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.21 18:42:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 02/2024 FSSA

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose** ) का नमूना खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1850/एक्ट/2023/1872 दिनांक 23.10.2023 के अनुसार **Regulation No. 2.3.14(15)** एफएसएस **(Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose**) का नमूना खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1850/एक्ट/2023/1872 दिनांक 23.10.2023 के अनुसार **Regulation No. 2.3.14(15)** एफएसएस **(Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose**) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(**II**) व (**V**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खुले हल्दी पाउडर के नमूने की जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है, केवल मात्र खुला हल्दी पाउडर विक्रय करने के कारण ही जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन बताया गया है। हमारे द्वारा ग्राहको की मांग के अनुसार खुला हल्दी पाउडर मांगे जाने पर हल्दी पिसवाकर खुला हल्दी पाउडर विक्रय विक्रय किया जाता है। मुझे खुले मसाले बेचने सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों की जानकारी नहीं थी। भविष्य में मेरे द्वारा खुला हल्दी पाउडर या अन्य खुले मसाले विक्रय करने की गलती नहीं दोहराई जावेगी। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1850/एक्ट/2023/1872 दिनांक 23.10.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose**) का नमूना **Regulation No. 2.3.14(15)** एफएसएस **(Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला ( **Turmeric Powder Loose**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री हिमांशु खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्सः–राजेश प्रोविजन स्टोर, बडियाल रोड, तंवर परिसर के पास, बांदीकुई जिला दौसा पर 7000/–(अक्षरे सात हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.03.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के निर्धारित मद 0210–04–800–03–00 में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( सुमित्रा पारीक )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA/2024/**

दिनांकः– 06.03.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.21 18:42:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. श्री हिमांशु खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः–राजेश प्रोविजन स्टोर, बडियाल रोड, तंवर परिसर के पास, बांदीकुई जिला दौसा।

( सुमित्रा पारीक )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा